

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं० 63/2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: 29 मार्च, 2022

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के तहत, उड़द [एसपीपी विग्ना मुंगो (एल.) हेप्पर की बिन्स] (आईटीसी (एचएस) 0713 3110) और तूर/पिजन पिज़ (केजनस काजन) (आईटीसी (एचएस) 0713 60 00) की आयात नीति में संशोधन

सा.आ.(अ.): समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22), की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उड़द और तूर की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	मदों का विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
07133110	उड़द [एसपीपी विग्ना मुंगो (एल.) हेप्पर की बिन्स]	मुक्त	मुक्त	31.03.2023 तक आयात 'मुक्त' है
07136000	तूर/पिजन पिज़ केजनस काजन)	मुक्त	मुक्त	31.03.2023 तक आयात 'मुक्त' है

2. **अधिसूचना का प्रभाव:** उड़द और तूर की "मुक्त" आयात नीति दिनांक 31.03.2023 तक बढ़ाई गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
29.3.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

(फा.सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2 (ए)/ई-1657 से जारी)